

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
CHANDIGARH BRANCH OFFICE (CHBO)

Ref: CHBO/A 97003007

Dt: 28/11/2023

Subject: All India first application for Certification as per IS/ISO 15883 : PART 2:2006


CHBO has received an application from **GENIST TECHNOCRACY PRIVATE LIMITED** for grant of licence for use of BIS Standard Mark on the product Washer - Disinfectors: Part 2 requirements and tests for washer - Disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments, anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware, etc as per IS/ISO 15883 : PART 2:2006 under Normal Procedure for Grant of Licence.

As per the information obtained from BIS Website/ Intranet, Circulars of CMD's to ROs/ BOs the following is observed:


1. No BIS licence exists for the aforementioned product.
2. Marking fee, SIT & Grouping guidelines are not available for the product.
3. No approved testing facility (BIS Labs or OSL) is available for this product.

In the view of above, the application may be considered as All India first application for Certification for the above product.

CMD-III and all ROs/BOs/Labs are requested to send any information with respect to the above IS or any other information which may be helpful to process this application.


(Poonam Choudhary)
Scientist- D, CHBO

Sc. F & HEAD(CHBO)


28/11/2023

भारतीय मानक ब्यूरो
चंडीगढ़ शाखा कार्यालय (सीएचबीओ)

संदर्भ: सीएचबीओ/ए-97003007

दिनांक: 28-11-2023

विषय: आईएस/आईएसओ 15883 : भाग 2:2006 के अनुसार प्रमाणीकरण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पहला आवेदन


सीएचबीओ को सामान्य प्रक्रिया के तहत आईएस/आईएसओ 15883 : भाग 2:2006 के अनुसार उत्पाद वॉशर - कीटाणुनाशक: वॉशर के लिए भाग 2 की आवश्यकताएं और परीक्षण - सर्जिकल उपकरणों, संवेदनाहारी उपकरण, कटोरे, बर्तन, रिसीवर, बर्तन, कांच के बर्तन, आदि के लिए थर्मल कीटाणुशोधन का उपयोग करने वाले कीटाणुशोधक पर बीआईएस मानक मार्क के उपयोग के लिए लाइसेंस देने के लिए जेनिस्ट टेक्नोक्रेसी प्राइवेट लिमिटेड से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस वेबसाइट/इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरओ/बीओ को सीएमडी के परिपत्रों में निम्नलिखित पाया गया है:


1. उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. मार्किंग फीस, एस.आई.टी और उत्पाद के लिए समूहीकरण दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं।
3. इस उत्पाद के लिए कोई अनुमोदित परीक्षण सुविधा (बीआईएस लैब्स या ओएसएल) उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदन को उपरोक्त उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पहला आवेदन माना जा सकता है।

सीएमडी-III और सभी आरओ/बीओ/लैब से अनुरोध है कि वे उपरोक्त आईएस या किसी अन्य जानकारी के संबंध में कोई भी जानकारी भेजें जो इस आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है।


(पूनम चौधरी)

वैज्ञानिक- डी, सीएचबीओ


वैज्ञानिक- एफ एवं प्रमुख(सीएचबीओ)
28/11/2023